संख्या-13/2019/42/71-2-19-24/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ ।

2- कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

3- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ
मेडिकल साइंसेज, लखनऊ।

4- कुलपति,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई इटावा ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 फरवरी, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-131/2018/2718/71-2-18-24/2018, दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अर्न्तगत राजस्व लेखा के अर्न्तगत असाध्य रोगों के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के मानक मद 20-सहातया अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय को उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 700.00 लाख (रूपया सात करोड मात्र) को अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0	संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय	धनराशि (लाख में)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।	250.00
2	डा0 रा0म0लो0आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	200.00
3	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	170.00
4	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,सैफई इटावा	50.00
5	राजकीय मेडिकल कालेज झाँसी	30.00
	योग	700.00

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

4- संस्थान/वि0वि0 का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष के देयक अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

5- उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु निमयावली 2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त मद में अगली किश्त तभी अवमुक्त की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/लाभार्थियों की सूची शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन/महालेखाकार को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

7- धनराशि को कोषागार से संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

8- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुमान अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/233/दस-2019, दिनांक 18 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-13/2019/42(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. संबंधित कोषाधिकारी-लखनऊ, कानपुर।
4. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 ।
5. संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक)-2/चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1/3/4
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।